

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाका दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर

ब इजलास मूलचन्द लूणिया, आर.ए.एस.

रमनदीप कौर बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि

दावा 53 आर.टी.ए मुकदमा नं0 70/2018

निर्णय दिनांक :-09.10.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर सिंह सैनी व प्रतिवादी संख्या 3,4,5,6 अधिवक्ता श्री संजय गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 1,2,7,8,9,10,11,12 जसप्रीत सिंह सैनी पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादिया के नाम दर्ज चक 3 डब्ल्यू के खाता संख्या 57/50 के मु.न. 9, मु.न. 57/14 की कुल 0.253 हैक्टर वाग मय गैरमुमकिन खाला भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं:-

1.रमनदीप कौर पत्नि अमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 3 डब्ल्यू तहसील श्री करणपुर का हिस्सा:-

चक 3 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 57/50 के मु.न. 9 के किला न. 15 की 0.228 हैक्ट. वाग , मु.न. 57/14 के किला न. 0/1 की 0.025 हैक्टर गैरमुमकिन खाला कुल 0.253 हैक्ट. वाग मय खाला भूमि।

नोट:- इस खाता की शेष भूमि गैरमुमकिन आबादी अंकित है।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। रहन बदस्तुर रहेगा।

आज दिनांक...11/10/19....को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददर्ई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	50	00	मेहनताना वकली पर	0	--
योग	50	00	योग	0	00

मुहूर



{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर